:::::::::: निविदा की शर्ते ::::::::::

1– निविदा दो लिफाफे में ''अ'' एवं ''ब'' में प्रस्तुत करना होगा।''अ'' लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छुट संबंधी प्रमाणपत्र तथा ''ब''लिफाफे में निविदा भाव पत्र भरना होगा। तदानुसार लिफाफे के ऊपर ''अ''एवं ''ब''लिखा होगा। सुरक्षा निधि वाले ''अ''लिफाफे को पहले खोला जायेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा छुट संबंधी प्रमाणपत्र होने पर ही दूसरा लिफाफे ''ब''अर्थात निविदा भाव पत्र वाले लिफाफे को खोला जावेगा।निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना जी.एस.टी. नम्बर अंकित करना होगा। यह स्पष्ट करना होगा कि निविदा खाद्यान्न या सब्जी सामग्री हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

2– निविदाकार निविदा प्रपत्र जेल विभाग की वेबसाईट www.jail.cg.gov.in से भी डाऊनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है,बशर्ते कि निविदा प्रपत्र जमा करने के पूर्व आवेदन शुल्क कार्यालय में जमा कराने पर ही उक्त निविदा प्रपत्र को निविदा की कार्यवाही में सम्मिलित किया जावेगा।

3– सील बंद लिफाफे के साथ निविदाकार को जी.एस.टी.पंजीयन प्रमाण पत्र–06 / 25,जी.एस.टी.क्लीयरेंस प्रमाण–पत्र (GSTR-4 विगत तिमाही माह–जुलाई 2022 से सितम्बर 2022 तक) स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र,आयकर रिटर्न (वर्तमान Assessment year 2021–2022 एवं विगत वर्ष 2020–2021 का) पेन कार्ड एवं आधार कार्ड,वेंडर प्रमाण पत्र का सत्यापित'प्रति संलग्न करना अनिवार्य है

4– प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का **एक प्रतिशत सुरक्षा निधि** के रूप में जमा करना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोक कर तथा शेष असफल निविदाकार की राशि 15 दिवस में लौटा दी जावेगी।

5– सुरक्षा निधि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षा निधि चालान से **लेखाशीर्ष ''8443 सिविल जमा राशियां 103–प्रतिभूति जमा''** शासकीय खजाने /उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन–देन का कारोबार होता है में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत करना होगा अथवा निविदाकार चाहे तो भारतीय स्टेट बैंक या अधिसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जेल अधीक्षक जिला जेल सुकमा के नाम से सुरक्षा निधि जमा कर सकते है।

6– सब्जियां ताजी एवं बंदियों की संख्या के अनुसार प्रतिदिन मांग पत्र के अनुसार ली जावेगी। नियत समय तक सब्जियां प्रदाय न हुई तो प्रदायकर्ता को किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सब्जी बाजार से क्रय कर लिया जावेगा एवं शासन की हानि की पूर्ति के लिए संबंधित व्यापारियों की धरोहर की राशि से काट ली जावेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म को इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

7– सामाग्री प्रदाय आदेश के तीन दिवस के अन्दर सामाग्री प्रदाय करना होगा। यदि तीन दिवस के अन्दर सामाग्री प्रदाय नही हुआ तो प्रदाय कर्ता को किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सामाग्री बाजार से क्रय कर लिया जावेगा एवं शासन को हानि की पुर्ति के लिए संबंधित व्यापारियों की धरोहर की राशि से काट ली जावेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म को इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जायेगा। निविदाकार को सामाग्री का मुल्य समस्त कर सहित देय होगा। पृथक से किसी कर का भुगतान नही किया जावेंगा,सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेंगी।

8– जेल अधीक्षक क्रय समिति की अनुशंसा पर क्रय करने हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है,तो क्रय की अनुमति दे सकता है।यदि संतुष्ट नही है,तो निविदाओं को निरस्त कर सकता है । जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है, के बारे में यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है तथा वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है, भण्डारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। जेल अधीक्षक चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जायेंगी कि उनका प्रदाय क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जावेगा।

9– प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जावेगा नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तुएं प्राप्त नहीं होने की दशा में प्राप्त सामाग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता को अपने व्यय से उसे वापस ले जाना होगा।

10– निविदा के साथ निविदाकार को उनके दुकान की स्थिति,जी.एस.टी. का पंजीयन,उनकी भंडारण क्षमता एवं जिनका व्यपार किया जाता ह एवं उनके विरूध्द किसी भी प्रकार का आपाराधिक मामला विचारण में न हो उसकी जानकारी शपथ पत्र में देना अनिवार्य है।

11– निविदाएं दिनांक 10.11.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। सुरक्षा निधि की **एक प्रतिशत राशि** के बैक ड्राफ्ट/प्रतिभुति राशि दिनांक 10.11.2022 के अपरान्ह 3.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाना होगा। तभी निविदाकार को निविदा की पात्रता होगी।

12– निविदायें उपस्थित निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 10.11.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे खोली जावेगी । अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिर्वतन किया जा सकता है।

13– निविदाकार को सामग्री का प्रदाय जेल गेट पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। सामग्री का परीक्षण जेल गेट में किया जावेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सामग्री नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत सामग्री तुरंत ले जाना होगा।

14– निविदाकार या उसके प्रतिनिधि को माल प्रदाय करते समय माल के साथ आना होगा। जब भी आवश्यकता महसूस होगी माल को रसायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। इस प्रकार भेजे गये माल का भुगतान परीक्षण रिपोर्ट में मापदण्ड के अनुरूप सही स्तर का नहीं पाया गया तो इस संस्था के निविदाकार एवं उनके फर्म को निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

15– समस्त पूर्तियां जेल द्वार पर ही स्वीकृत होगी।

16– बुलाई गयी निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

17– निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी रू0 1000–00 (रू–एक हजार मात्र)का भुगतान करने पर कार्यालय जेल अधीक्षक,जिला जेल सुकमा से दिनांक 10.11.2022 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

18– सामग्री की उल्लेखित मात्रा अनुमानित है, आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है।

19– निविदाओं को बिना बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार लिए जेल अधीक्षक (पदेन अधीक्षक एवं चिकित्साधिकारी) के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में पत्राचार नही किया जावेगा। समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक(पदेन अधीक्षक एवं चिकित्साधिकारी),(अध्यक्ष) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

20– शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री निविदाकारों से क्रय नहीं की जावेगी।

21– प्रत्येक निविदाकार को निविदा डाले जाने हेतु दी गई निविदा फार्म में ही सामाग्रीयों का दर डाल कर देना होगा एवं वस्तु के भाव अंकों एंव शब्दों में स्पष्ट लिखना होगा। काट–पीट एवं ऊपरी लेखन मान्य नहीं किया जावेगा।

22– निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं किया जायेगा।

23– निविदाकार का व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है,का स्पष्ट पता जहां विभिन्न स्थानों पर माल प्रदाय करेगा स्पष्ट अंकित होना चाहिए,जिससे क्रय अधिकारी व्यापारिक संस्थान का निरीक्षण कर सके।

24– सफल निविदाकार को करारनामा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र दो दिवस के अन्दर जमा करना होगा। करारनामा एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा।

25– सफल निविदाकार को जेल पुर्ति नियम 1968 के नियम 10(ग) के अनुसार अनुमानित कय मूल्य की **तीन प्रतिशत** की राशि के बराबर शोध क्षमता प्रमाण पत्र/राष्ट्रीयकृत बैक से एफ.डी.आर जिसे जेल अधीक्षक, जिला जेल सुकमा के नाम से जमा करना होगा। इसके पश्चात् ही प्रदाय आदेश दिया जावेगा।

26– छ0ग0 शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय मंत्रालय डी.के.एस भवन रायपुर के पत्र क. 134/ए/वित्त/ब–4/चार/2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयको की भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस.टी.काट कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

27– खाली बारदाना/टिन का भाव शामिल नही किया जावेगा। खाली बारदाना/टिन माह के अंत में वापस कर दिया जावेगा।

28– निविदा का अनुमोदन महानिदेशक,जेल द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक,जेल को विशेषाधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

Deepak kumar

जेल अधीक्षक
जिला जेल सुकमा(छ0ग0)